

नहीं ढूँढना पड़ेगा खरीदार, यूपीसीडा खरीदेगा बीमार इकाइयों का प्लॉट

एसके सिंह • जागरण

संतकबीरनगर : अब बीमार घोषित औद्योगिक इकाइयों के आवंटियों को अपना प्लॉट बेचने के लिए खरीदार तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) स्वयं ऐसे प्लॉट वापस खरीदेगा और इसके एवज में मौजूदा प्रचलित दर का 90 प्रतिशत भुगतान करेगा।

सोमवार को होने वाली यूपीसीडा की 51वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो वर्षों से बंद पड़े उद्योगों में फंसी करोड़ों रुपये की पूंजी उद्यमियों के हाथ में लौट आएगी। नई नीति में यूपीसीडा पूरे प्रदेश में 90 प्रतिशत भुगतान का एक समान प्रविधान लागू करने जा रही है। इससे उद्यमियों को उनकी संपत्ति का बेहतर मूल्य मिलेगा और वर्षों से अटकी पूंजी भी मुक्त हो सकेगी। नई व्यवस्था का दूसरा बड़ा लाभ यह होगा कि दशकों से बंद पड़े औद्योगिक प्लॉट फिर से यूपीसीडा के पास उपलब्ध

- यूपीसीडा की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद
- पूरे प्रदेश में लागू होगी एक समान व्यवस्था

यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्रों में बीमार घोषित इकाइयों के

प्लॉट स्वयं वापस खरीदेगा। इसके लिए वर्तमान प्रचलित दर का 90 प्रतिशत भुगतान करने का प्रस्ताव सोमवार को होने वाली यूपीसीडा की 51वीं बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव के अनुमोदन की पूरी संभावना है।



— धर्मचंद्र, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा

हो जाएंगे। इसके बाद इन्हें नए निवेशकों को आवंटित किया जा सकेगा, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ने, बंद पड़ी जमीन के उपयोग और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।